झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0/कौ0 –12/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– जिला विज्ञान केन्द्र, डाल्टेनगंज (पलामू) की स्थापना हेतु प्राक्कलित राशि रू0 10,57,52,000/– (रू0 दस करोड़ संतावन लाख बावन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत राज्य के 08 जिलों यथा – लोहरदग्गा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका एवं पलामू में जिला विज्ञान केन्द्रों को नये सिरे से विकसित किया जाना है। इन जिला विज्ञान केन्द्रों में विज्ञान के सिद्धांतों को विभिन्न वैज्ञानिक प्रदर्शो/उपकरणों के माध्यम से अत्यन्त ही सरल ढंग से समझाया जायेगा, जिससे छात्र–छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने एवं वैज्ञानिक सोच बढ़ाने में सहायक होगा। उक्त विज्ञान केन्द्रों को दो भागों में विकसित किया जायेगा – क. असैनिक कार्य, ख. वैज्ञानिक प्रदर्शो के अधिष्ठापन का कार्य।

दिनांक 27.09.2023 को झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के कार्यकारणी समिति की बैठक में जिला विज्ञान केन्द्रों के असैनिक कार्य किसी निर्माण एजेन्सी/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से तथा वैज्ञानिक प्रदर्शो के अधिष्ठापन का कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) कोलकाता से कराने के विन्दु पर स्वीकृति दी गयी है। पलामू जिला अन्तर्गत जिला विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु उपायुक्त, पलामू का ज्ञापांक 12 दिनांक 06.01.2024 के द्वारा पलामू जिला में सदर–मेदिनीनगर अंचल अन्तर्गत मौजा–पोखराहा खुर्द, खाता सं0–85, प्लॉट सं0–1375 कुल रकवा 03.00 एकड़, किस्म गैरमजरूआ मालिक जंगल–साखू भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त के क्रम में JCSTI का पत्रांक 245 दिनांक 07.11.2023 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, डाल्टेनगंज (पलामू) के असैनिक कार्य संबंधी JSBCCL से कराने हेतु DPR उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया।

तत्पश्चात् कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1220 (नि0) दिनांक 06.06.2024 द्वारा जिला विज्ञान केन्द्र, डाल्टेनगंज (पलामू) को विकसित करने हेतु तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 552/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 245 दिनांक 30.05.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू0 10,57,52,000/– (रू0 दस करोड़ संतावन लाख बावन हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

क्र0	अवयव के नाम	राशि
1	Main Building	3,78,38,128.00
2	Toilet Block	29,37,916.00
3	Ticket Counter with Guard Shed	15,93,267.00
4a	Road with Path Way and parking with leveling	1,34,72,347.00
4b	Boundary Wall with retaining wall	63,11,245.00
4c	Main Gate with Guard Room	17,42,677.00
4d	Plateform Type 1	10,86,946.00
4e	Plateform Type 2	5,93,453.00
4f	Telescope Plateform	6,81,127.00
4g	Flag Hosting Plateform	1,56,422.00
4h	Fabricated Tree	5,35,681.00
4i	Horticulture	22,22,814.00
4j	Children's Play Area Furnishing	51,85,002.00

4k	Irrigation	6,44,101.00
4l	External Electrification	51,88,424.00
4m	CCTV	19,96,486.00
5	Furniture (Building)	16,24,432.00
	Total Cost	8,38,10,468.00
6	Add GST @ 18%	1,50,85,884.00
7	Total Amount with GST	9,88,96,352.00
8	Add Labour Cess @ 1%	9,88,963.00
9	Add JSBCCL Charge	58,66,733.00
10	Grand Total	10,57,52,048.00
	Say	**10,57,52,000.00**
(रू0 दस करोड़ संतावन लाख बावन हजार) मात्र		

अतः उक्त के आलोक में जिला विज्ञान केन्द्र, डाल्टेनगंज (पलामू) की स्थापना हेतु निर्माण कार्य संबंधी कुल प्राक्कलित राशि रू0 10,57,52,000/– (रू0 दस करोड़ संतावन लाख बावन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–004–अनुसंधान /उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, रॉची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S22030000441010679**)

(ख). राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लधुशीर्ष–796–जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एंड टेक्नोलॉजी, रॉची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– **43S22030079641010679**)

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं परिषद् के PL खाते में संधारित राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।

4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे।

5. स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में निष्पादित की जायेगी तथा कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 11 माह होगी साथ ही कार्य पूर्ण करने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।

6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।

9. निदेशक, NCSM, कोलकाता का पत्रांक 313 दिनांक 31.05.2024 द्वारा आठ जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्श संबंधी प्राक्कलन विस्तृत विवरणी के साथ उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुसार जिला विज्ञान केन्द्र, डाल्टेनगंज (पलामू) की निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात केन्द्र में स्थापित की जानेवाली मुख्य वैज्ञानिक प्रदर्शों की विवरणी निम्नवत् होगी –

A. Fun Science Gallery - Value of pi, Vortex, Centenary Arch, Lissajous Figure, Larriot Chain, Visualizing sound, Mirage, Tangram etc.
B. Science Park- Whispering Disc, Elliptical Speaking tube, Musical tube, Pipes of pan, Magic water tap, Periscope, Isis Speaks, etc.
C. Telescope.
D. Innovation Hub

10. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
12. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0 –12/2024 /रॉची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0 –12/2024 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायीं जाय।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– वि0प्रा0/कौ0 –12/2024/10/योजना/ /रॉची, दिनांकः– 23.07.2024

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/उपायुक्त, पलामू/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/अंचल अधिकारी, पलामू/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.24

सरकार के प्रधान सचिव

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0— 2. वि0प्रा0योजना —35 / 15 / राँची, दिनांक—

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

द्वारा :— आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषयः— उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 1,50,00,000 / — (रू0 एक करोड़ पचास लाख) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :— स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजकीय अभियत्रंण महाविद्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित कार्यक्रम किया जाने का प्रस्ताव है। उक्त के निमित वित विभाग के पत्रांक—257 दिनांक—21.03.2024 के आलोक में चालू वितीय वर्ष 2024—25 में कुल 1,50,00,000 / — (रू0 एक करोड़ पचास लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष—003—प्रशिक्षण—उपशीर्ष—A7—प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग—विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय के सेमिनार / समारोह / कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि में से रू0 1,00,00,000 / — (रू0 एक करोड़) मात्र विकलनीय होगा। विपत्र कोड़ — 43S220300003A7010321

   (ख) राशि की निकासी एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष—2203—तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उपशीर्ष—A7—प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग—विस्तृत शीर्ष—03—प्रशासनिक व्यय के सेमिनार / समारोह / कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि में से रू0 50,00,000 / — (रू0 पचास लाख) मात्र विकलनीय होगा। विपत्र कोड़ — 43S220300796A7010321

3. उपर्युक्त राशि का आवंटन आवश्यकतानुसार विभागान्तर्गत प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग / सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के लिए विभागीय अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सहायक निदेशक—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय / उपायुक्त, राँची / उपायुक्त, पलामू / राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / सहायक निदेशक—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय / निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / उपायुक्त, राँची / उपायुक्त, पलामू / संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय / राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।

5. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा / जिला कोषागार, राँची / धनबाद / पलामू / कोडरमा / बोकारो / लातेहार / साहेबगंज / सिमडेगा / चाईबासा / दुमका / जमशेदपुर / सरायकेला / उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
7. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड़ 1288 है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित विभाग के आदेश ज्ञापांक– 274/वि0 दिनांक–31.03.2023 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
10. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. वित विभाग के संकल्प संख्या–2741 दिनांक– 23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15 /रॉची, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/जिला कोषागार, रॉंची/धनबाद/पलामू/कोडरमा/बोकारो/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/दुमका/जमशेदपुर/सरायकेला/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 2.वि0प्रा0योजना –35/15/03/योजना /रॉची, दिनांक–27.05.2024

प्रतिलिपि– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड,/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थान, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/नोड़ल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/24
(जॉर्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव